दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11–क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना–2021 में निम्नलिखिति संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिन्हें जनता की जानकारी के लिए एतद्–द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से **पैंतालीस (45) दिन** की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली–110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई–मेल आई.डी भी दें, जो पठनीय हो।

संशोधन:

अध्याय 7.0 उद्योग दि.मु.यो.–2021 पैरा 7.4 घरेलू/सेवा उद्योग	
विद्यमान प्रावधान	**प्रस्तावित संशोधन**
अधिकतम 09 कर्मचारियों और 11 कि.वा. पावर सहित घरेलू औद्योगिक इकाइयों को आवासीय क्षेत्रों में जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है और इस प्रकार की नई औद्योगिक इकाइयों को **श्रम और उद्योग विभागों तथा डी.पी.सी.सी. (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति) से वैधानिक मंजूरी** के अधीन आवासीय क्षेत्र में इस शर्त के साथ अनुमति दी जा सकती है कि किसी भी प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों को घरेलू उद्योग के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।	अधिकतम 09 कर्मचारियों और 11 कि.वा. पावर सहित घरेलू औद्योगिक इकाइयों को आवासीय क्षेत्रों में जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है और इस प्रकार की नई औद्योगिक इकाइयों की अनुमति आवासीय क्षेत्र में इस शर्त के साथ दी जा सकती है कि किसी भी प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों को घरेलू उद्योग के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला दि.मु.यो.–2021 का पाठ निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य–दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली–110002 में उपलबध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ दि.वि.प्रा. की वेबसाइट अर्थात् **www.dda.org.in** पर भी उपलब्ध हैं।

फाइल सं. एफ20(02)/2018–एम.पी.
दिनांक: 03.09.2019
स्थान: नई दिल्ली

हस्ता/–
(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव
दिल्ली विकास प्राधिकरण

कृपया Google play के DDA ऐप्स पर अपना फीडबैक दें।

देखें दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in या डायल करें टोल फ्री नं. 1800110332